# राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
## *विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की उन्नीसवीं बैठक*

*(दिनांक 20 अप्रेल, 2018)*
*का*

## कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की उन्नीसवीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) बी.आर.छीपा की अध्यक्षता में कुलपति सचिवालय के कांफ्रेस हॉल में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचि **संलग्नक–1** पर है।

| एजेंडा सं. | प्रस्ताव एवं कार्यवाही |
|---|---|
| 19/ए | विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गयी प्रगति का संक्षिप्त विवरण मौखिक रूप से माननीय कुलपति द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाना। |
| | प्रो. (डॉ.) बी.आर. छीपा, कुलपति राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ने प्रबंध मण्डल की 19वीं बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। विशेष रूप से नये नामित कुलाधिपति महोदय की ओर से माननीय सदस्य, प्रो. कमल जायसवाल सा., राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधान सदस्य के रूप में नामित माननीया सदस्या सुश्री सिद्धी कुमारी जी, विधायक, बीकानेर (पूर्व), पशुपालक श्रेणी में नामित माननीय सदस्य श्री पंकज राज जी मीणा, दुग्ध उत्पाद निर्माता श्रेणी में नामित माननीय सदस्य श्री सुरेश चन्द्र जी गुर्जर एवं महिला सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नामित माननीया सदस्या श्रीमती मंजू जी दीक्षित का पूरे राजुवास परिवार की ओर से स्वागत करते हुये सभी नये नामित उपस्थित माननीय सदस्यों को पुष्प गुच्छ भेंट किये और आशा व्यक्त की कि सभी माननीय सदस्य विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास में हम सभी का मार्ग–दर्शन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे जिससे यह विश्वविद्यालय उतरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा।<br><br>माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो.(डॉ.) कर्नल ए.के. गहलोत साहब का धन्यवाद दिया जिनके अथक प्रयासों ने विश्वविद्यालय को मूर्त रूप दिया जिसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में पहचान मिली। साथ ही माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मण्डल के माननीय पूर्व सदस्यों श्री राजेन्द्र जी भादू, विधायक–सूरतगढ़, डॉ. अमित जी नैन, श्रीमती कामना जी चौधरी, श्री बलराम जी सहारण एवं श्री घनश्याम |

जी सोलंकी का भी हृदय से आभार व्यक्त किया जिनके द्वारा समय–समय पर दिये गये सकारात्मक मार्ग–दर्शन से इस विश्वविद्यालय ने नई ऊँचाईयों को छूआ है।

प्रो. छीपा ने माननीय सदस्यों को यह अवगत करवाया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना मई, 2010 में हुई थी एवं अल्प समय में ही विश्वविद्यालय ने पशु चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है। इस प्रगति का श्रेय राजभवन द्वारा समय समय पर विकास हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रभावी मॉनीटरिंग तथा राजस्थान सरकार का भी सहयोग रहा है। साथ ही राजुवास टीम के सभी सदस्य लगातार विश्वविद्यालय के विकास में सहयोगी रहे है। इसके परिणाम स्वरूप मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालयों की इन्डिया रैंकिंग–2018 में राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय ने राजस्थान राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में प्रथम स्थान बनाया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित केटेगरी में प्रदर्शन आधार पर की गई रैंकिंग में राजस्थान राज्य के सभी 25 राजकीय विश्वविद्यालयों और 42 निजी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में वेटरनरी विश्वविद्यालय प्रथम पांच में शामिल रहा है। इस सर्वे के अनुसार देश के पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भी राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय प्रथम पांच में शामिल है।

राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजस्थान में संस्थानिक ई–गर्वनेन्स में श्रेष्ठ कार्य करने के फलस्वरूप माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी दिवस 2018 के अवसर पर राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय को ई–गर्वनेन्स राजस्थान अवार्ड 2016–17 से सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय कुलपति महोदय ने राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया।

माननीय कुलपति महोदय ने माननीय सदस्यों को, विशेष रूप से नये नामित सदस्यों को अवगत करवाया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ 3 संघटक महाविद्यालय बीकानेर, नवांनिया–वल्लभनगर (उदयपुर) एवं जयपुर में स्थित है। साथ ही 7 पशुधन अनुसंधान केन्द्र, एक कृषि विज्ञान केन्द्र, 72 दो–वर्षीय डिप्लोमा संस्थान एवं 6 देशी गौवंश संवर्धन केन्द्र यथा राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर, साहिवाल एवं मालवी नस्ल के फार्म क्रियाशील है। विश्वविद्यालय का एक सिरोही बकरी का प्रजनन फार्म चित्तौड़गढ़ में स्थित है।

माननीय महोदय ने यह भी बताया कि अनुसंधान के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर थारपारकर नस्ल की गाय में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के सफल प्रयोग से उन्नत नस्ल की दो बछड़ियां और एक बछड़ा प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है जिसके लिए हमारे वैज्ञानिक

बधाई के पात्र है।

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किये गये शोध एवं नवीन तकनीकों को पशुपालकों एवं किसानों तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में वेटरनरी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र (वीयूटीआरसी) स्थापित किये जाने है। इसी क्रम में अब तक 13 जिलों में ये स्थापित किये जा चुके है। हाल ही में जोधपुर में 13वां केन्द्र प्रारंभ किया गया है। पांच जिलों में स्थापित केन्द्र किराए के भवनों में कार्यशील हैं। मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी केन्द्रों के लिए सरकार ने हमें आवश्यकता अनुसार निःशुल्क भूमि का आंवटन किया जा रहा है। निकट भविष्य में झालावाड़ जिलें में 14वां वीयूटीआरसी शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

प्रो. (डॉ.) बी.आर.छीपा ने उपस्थित माननीय सदस्यों को बताया कि वेटरनरी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अब राष्ट्रीय डिजीटल लाईब्रेरी आई.आई.टी. खड़गपुर से जुड़ गया है जिसका लाभ यहाँ के वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों को निःशुल्क मिलता रहेगा। विश्वविद्यालय की लाईब्रेरी पहले से ही पूर्ण रूप से डिजिटल है। लाईब्रेरी में उपलब्ध सभी संसाधनों की जानकारी छात्रों एवं प्राध्यापकगणों हेतु ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सर्वसुलभ है। इस राष्ट्रीय डिजिटल लाईब्रेरी से जुड़ने के पश्चात् इसके संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि होने से विश्वविद्यालय के शोध एवं शिक्षण गतिविधियों में भी तेजी आएगी। विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाओं का नियमितिकरण किया गया है। उनकी समय समय पर पदोन्नतियां भी की गई है। शैक्षणिक स्टाफ के पदौन्नति की "कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम" के अन्तर्गत लाभ देने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एवं जल्द ही सभी योग्य शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल जायेगा। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को लिखित में यह सूचित कर दिया था कि वह वर्ष 2050 तक अपने कर्मचारियों के सेवानिवृति परिलाभ एवं पेंशन का भुगतान स्वयं के संशाधनों से करेगा। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की वचनबद्धता एवं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक पेन्शन फण्ड का गठन किया गया है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष अर्जित की जाने वाली आय का 80 प्रतिशत भाग उक्त पेंशन फण्ड हेतु ही प्रयोग में लेना सुनिश्चित किया गया है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय की विशेष आवश्यकता पड़ने पर यदि फंड की आवश्यकता हो तो उपरोक्त 80 प्रतिशत राशि में से अधिकतम 30 प्रतिशत राशि इस बाबत गठित 7 सदस्यीय समिति के समस्त सदस्यो की एक सहमति होने पर निकाली जा सकेगी।

माननीय कुलपति महोदय ने माननीय सदस्यों को यह भी अवगत करवाया कि बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए राजस्थान प्री–वेटरनरी

| | |
|---|---|
| | टेस्ट का आयोजन 10 जून, 2018 को किया जाएगा जिससे विश्वविद्यालय की संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।<br><br>प्रो. छीपा ने यह भी बताया कि हाल ही में विश्वविद्यालय के दो पूर्व छात्रों का चयन कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल द्वारा किया गया है। साथ ही जयपुर स्थित महाविद्यालय के तीन छात्रों ने 23वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पदक विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। वेटरनरी विश्वविद्यालय की 1st राज आर एण्ड वी स्कवाड्रन एनसीसी, बीकानेर के कैडेट्स ने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस–2018 की परेड में भाग लिया एवं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय ने दिनांक 22 से 25 फरवरी, 2017 तक ऑल इण्डिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यूथ फैस्टीवल (एग्री–यूनिफेस्ट) 2016–17 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। माननीय सदन को यह भी बताया कि वेटरनरी विश्वविद्यालय और उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी (ATMA) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय मेले में जिले के 2300 से भी अधिक किसानों ने शिरकत की। मेले का उद्घाटन 6 अक्टूबर, 2017 को माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी शेखावत द्वारा किया गया। मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 6 संस्थानों सहित विभिन्न विभागों और कृषि विश्वविद्यालय, कृषि आदानों और उपकरणों के 60 स्टॉल में तकनीक व वैज्ञानिक रीति–नीतियों का प्रदर्शन किया गया।<br><br>अंत में प्रो. (डॉ.) बी.आर. छीपा ने सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह किया कि भविष्य में विश्वविद्यालय के चहुंमुखी विकास हेतु सभी का यथा संभव सहयोग एवं मार्ग–दर्शन अपेक्षित रहेगा जिससे यह विश्वविद्यालय न केवल देश में बल्कि अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब हो सके।<br><br>सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रगति पर खुशी जाहिर की एवं उन्होंने विश्वास दिलाया कि विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए सदैव सकारात्मक सहयोग करने को तत्पर रहेंगें । |
| 19/बी | **प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.06.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।** |
| निर्णय | प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.06.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। |
| 19/सी | **प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 07.02.2017 की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन।** |
| | प्रबंध मण्डल द्वारा बैठक दिनांक 07.02.2017 की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन निम्न अनुशंषा के साथ किया गया :–<br><br>प्रस्ताव संख्या 18/एच के संदर्भ में कुलपति महोदय माननीय कुलाधिपति महोदय से |

| | |
|---|---|
| | भेंट कर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करें यदि उनकी कोई आपत्ति हो तो उसे दूर किया जावे एवं रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरे जाने के लिये प्रयास किया जावे। साथ ही माननीय कुलाधिपति महोदय से बोर्ड प्रबंध मंडल द्वारा भर्ती पर लगाई गई रोक को हटाने का निवेदन किया गया। |
| 19/डी | **प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.06.2017 की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन।** |
| | प्रबंध मण्डल द्वारा गत बैठक दिनांक 19.06.2017 की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। |
| 19/ई | **विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।** |
| | माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों के मामले में चाहा कि कुलसचिव महोदय द्वारा इस बाबत सदन को यह बताया जाये कि प्रस्तुत सभी आदेश नियमानुसार जारी किये गये है एवं भविष्य में इस बाबत प्रस्तुत किये जाने वाले एजेन्डा के साथ यह लिखित में नोट प्रस्तुत किया जाये कि सभी आदेश रूल्स एवं रेग्युलेशन की पालना करके नियमानुसार जारी किये गये है। कुलसचिव महोदय द्वारा बैठक के दौरान मौखिक रूप से यह आश्वासन दिया कि प्रस्तुत सभी आदेश नियमानुसार जारी किये गये है एवं भविष्य में इस बाबत प्रस्तुत किये जाने वाले एजेन्डा के साथ कुलसचिव द्वारा लिखित में नोट के साथ एजेन्डा प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात सदन द्वारा आदेशों का अनुमोदन किया गया। |
| 19/एफ | एजेण्डा सं. 19/एफः– **राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम 2010 (यथा संशोधित 2013) की धारा 24 (2) के अन्तर्गत कुलपति विचयन समिति हेतु प्रबंध मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य का नाम भिजवाये जाने के संबंध में।**<br><br>व्याख्यात्मक टिप्पणीः– राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में कुलपति के पद पर नई नियुक्ति किये जाने हेतु नामों की सूची तैयार किये जाने के लिये सर्च कमेटी का गठन किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 16 वीं बैठक दिनांक 16.04.2016 के एजेण्डा सं. 16/बी में पारित निर्णय अनुसार राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम 2010 की धारा 24 (2) के प्रावधानों अनुसार कुलपति के चयन हेतु विचयन समिति के लिये प्रबंध मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में नाम सुझाने हेतु सर्व सम्मति से डॉ. कर्नल ए.के. गहलोत को पूर्व कुलपति राजुवास, बीकानेर को अधिकृत किया गया। पूर्व कुलपति महोदय द्वारा विचयन समिति में विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल के नामित सदस्य के रूप में डॉ. सुरेश एस. होनापागोल, पशुपालन आयुक्त, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का नाम सुझाया गया। |

| | |
|---|---|
| | उप–आयुक्त (पशुपालन) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक K-12052/9/18/2017-LH दिनांक 06.03.2018 के द्वारा विचयन समिति में डॉ. सुरेश एस. होनापागोल का मनोनयन, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद द्वारा नामित सदस्य के रूप में करने के फलस्वरूप डॉ. सुरेश एस. होनापागोल का दोहरा मनोनयन हो जाने से प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर ने पत्र क्रमांक एफ.37(2)आरबी/ 2010–पार्ट/2124 दिनांक 21.03.2018 द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की बैठक आहूत कर निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। |
| | माननीय सदस्यों द्वारा कुलपति विचयन समिति हेतु प्रबंध मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य का नाम भिजवाये जाने के लिये माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया जिससे कि गोपनीयता भी बनी रहे। |
| 19/जी | **अन्य कोई एजेण्डा अध्यक्ष महोदय के अनुमति से।** |
| | |
| 19/जी–I | **प्रबंध मण्डल की 17वीं बैठक दिनांक 07.02.2017 के एजेण्डा संख्या 17/एम पर पुनः विचार हेतु प्रस्ताव।** |
| | माननीय सदस्यों द्वारा एजेण्डा संख्या 17/एम पर शैक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये शैक्षणिक भ्रमण योजना के अंतर्गत दीपावली अवकाश के स्थान पर यथासंभव अन्य राजकीय अवकाशों के अधिकतम उपयोग कर अनुमति प्रदान करने संबंधित कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। |
| 19/एच | **With reference to Res. No. 16/D of Board of Management dated 16.04.2016 to consider the report of the committee constituted for examining the following orders of the University,**<br>**i. No. F.(33)RAJUVAS/Reg./Estt./2015/59 dated 09.02.2016 regarding cash payment to semi permanent employees of Estate Office w.e.f. the date of declaring Semi Permanent.**<br>**ii. F.(32)RAJUVAS/Reg./Estt./2015/612 dated 17.10.2015 regarding allowing Poultry Attendant be allowed Pay Scale as per with Cattle Attendant w.e.f. the date of their regular appointment.**<br>**iii. F.(64)RAJUVAS/Reg./Estt./2015/644 dated 16.11.2015 regarding allowing 2nd. Selection Scale to Sh. Ram Lal Gurjar, LDC, CVAS, Navania form the date 07.02.2005 instead of 07.02.2003.**<br>**iv. No. F.(7)RAJUVAS/Reg./Estt./2016/19 dated 12.01.2016 regarding allowing 2nd Selection Scale to Sh. Pratap Lal w.e.f. 11.12.2005 instead of 11.12.2003, (Examination report enclosed for reference).** |

| | |
|---|---|
| | माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर कार्यवाही/निर्णय आस्थगित करते हुए इस प्रकरण का विस्तृत एजेन्डा आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। |
| 19/आई | **To consider issuing of Transcript to the student of B.V.Sc. & A.H. from Academic Session: 2017-18, on payment of fee Rs. 3000/-** |
| | माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विस्तृत चर्चा करते हुए एजेन्डा का इस आशय के साथ अनुमोदन किया गया कि चूंकि विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष अंकतालिका जारी की जाती है, अतः पूरे डिग्री प्रोग्राम की एक संकलित अंकतालिका (ट्रान्सक्रिप्ट) चाहने पर (optional) 1500/–रू. ट्रान्सक्रिप्ट शुल्क लेकर जारी की जा सकती है। |
| 19/जे | **विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह में वितरित की गई उपाधियों में छपी अशुद्धियों में सुधार करने के लिए उपाधियों के पूर्व में निर्धारित प्रपत्रों में संशोधित (Revised) व जारी करने की तिथि (Date of Issue) का अंकन हेतु विचारार्थ।** |
| | माननीय सदस्यों द्वारा उपाधियों में अशुद्धि सुधार कर संशोधित उपाधियां जारी करने हेतु वर्तमान (sitting) कुलपति महोदय को संशोधित उपाधियां (डिग्रीयां) अपने हस्ताक्षर से जारी करने के लिये सर्वसम्मति से अधिकृति किया गया। |
| 19/के | **To report the order No. F.(14)/RAJUVAS/COE/Gen/2018/27-29 dated 16.01.2018 issued by the Controller of Examination, RAJUVAS, Bikaner regarding Honorarium/Remuneration to the staff working in the office of Controller of Examination, RAJUVAS, Bikaner w.e.f. 01.04.2017 for ratification. (Copy order enclosed)** |
| | माननीय सदस्यों द्वारा एजेण्डा पर विस्तृत चर्चा करते हुए अनुमोदन इस आशय के साथ किया गया कि "इस बाबत भुगतान राजभवन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जावे। तथा राजभवन से जारी आदेश की तिथि से पूर्व की अवधि का भुगतान भी राजभवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ही किया जावे" का अनुमोदन प्रबंध मंडल के सभी सदस्यों (श्री एन.एस.पुरोहित के अतिरिक्त) ने किया। श्री एन.एस. पुरोहित, अति. संभागीय आयुक्त जो कि वित विभाग के 'प्रतिनिधि के प्रतिनिधि' के रूप में उपस्थित थे, ने राजभवन के आदेश के दिनांक से पूर्व की अवधि के भुगतान के मामले में उनका मत था कि पूर्व की अवधि का भुगतान नहीं किया जावे। उनको सदन के सभी सदस्यों ने यह अवगत करा दिया था कि यह भुगतान सभी विश्वविद्यालयों में कार्य की अधिकता एवं महत्वता की वजह से होता है। जिसे स्वयं माननीय कुलाधिपति महोदय ने भी माना है तथा दरों के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान किया जावे, के आदेश जारी किये है। किन्तु श्री पुरोहित ने इस संदर्भ में अपनी असहमति जताई। |
| 19/एल | **To consider request dated 11.04.2018 from Sh. U.S. Dubey, Organisor, non-teaching employees Association, RAJUVAS, Bikaner to amend the existing qualification of the post of Lover Division Clark (LDC) for promotion to the post of Upper Division Clark (UDC) as per the Rajasthan subordinate officer Ministerial service Rules 1999 as under :-**<br>**"SR. No. 9 XXX**<br>**OR**<br>**Secondary of a recognised Board with 5 years experience on the post of LDC"**<br>**(Copy of Rules enclosed)** |

| | |
|---|---|
| | चूंकि वर्तमान में सभी विश्वविद्यालयों के कॉमन सेवानियम आदि बनाने के लिये माननीय कुलाधिपति महोदय ने कुलसचिवों की समिति बनाई हुई है जिसकी कई बैठकें हो चुकी है अतः सदन में हुई चर्चा के अनुसार कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत एजेंडा को वापिस ले लिया गया। |
| 19/एम | **संयोजक, एकीकृत शैक्षणौत्तर कर्मचारी संघ, राजुवास, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.04.2018 बीकानेर स्थिति निजी अस्पतालों को एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के आदेशों की तर्ज पर इस विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित करने के लिये विचार हेतु प्रस्ताव।** |
| | सदन में उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विदित हुआ कि राजस्थान सरकार ने सभी शहरों में निजी अस्पतालों का अनुमोदन कर रखा है जिनमें ईलाज कराने पर दवाईयों/जांचों के भुगतान के बिलों का पुनर्भरण किया जाता है। राजस्थान सरकार की इस सूची में बीकानेर के कोठारी अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान सम्मिलित है। अतः निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार ही निजी अस्पतालों का अनुमोदन किया जाये, जिससे की विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयां जो कि अलग–अलग जिलों में स्थित है, के कर्मचारियों को उन जिलों के निजी अस्पतालों में ईलाज कराने की सुविधा भी प्राप्त हो सके। |

उपरोक्त एजेंडा की समाप्ति के पश्चात माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिये गये जो निम्न प्रकार है :–

1. माननीय सदस्य श्रीमान् पंकज राज मीणा, पशुधन पालक ने प्रस्तुत किया कि वे एक पशुपालक है और उनका यह दर्द है कि जो पशु दूध नहीं देते है एवं अनुपयोगी है वे सड़कों पर विचरते रहते है तथा भूखे मरते हैं। अतः पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय होने के नाते विश्वविद्यालय कोई ऐसे प्रस्ताव बनाये जिससे ऐसे अनुपयोगी पशुओं को भूखा मरने से रोका जा सके।
2. माननीय सदस्य श्रीमान् सुरेश चन्द्र गुर्जर ने प्रस्तुत किया कि वे दुग्ध उत्पादक इंडस्ट्री से जुड़े हुवे है उनके देखने में आया है कि पशुपालकों की एक भारी समस्या बछड़े है। बछड़ों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है जिससे वे खुले विचरते है एवं अन्य किसानों के फार्मस/खेतों में घुसकर फसलो को नष्ट करते है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किया कि गाय के गौमूत्र/गोबर आदि को दवा कार्बनिक खाद आदि में पर्याप्त कार्य में लिया जा सके जिससे उसका अधिकतम उपभोग हो सके ऐसा कोई प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय बनावे।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के संदर्भ में माननीय सदस्य डॉ. त्रिभुवन शर्मा, अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष, राजुवास ने समाधान हेतु प्रस्तुत किया कि जिन क्षेत्रों में यह अनुपयोगी पशु एवं बछड़े आवारा घुमते है एवं उन्हें खाने को भी नहीं मिल पाता है ऐसे पशुओं के लिये गौशालायें सरकार के योगदान से खोली जायें। साथ ही बछड़ों के मामले में डॉ. त्रिभुवन शर्मा का सुझाव था कि इन बछड़ों को भी गौशालाओं में रखा जावे तथा उनमें से अच्छी नस्ल के बछड़ों को अन्य गौशालाओं में प्रजनन कार्य हेतु भी भेजा जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान में 1400 से अधिक गौशालायें पंजीकृत है तथा लगभग इतनी ही गौशालाऐं बिना पंजीयन के खुली हुई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त डॉ. त्रिभुवन शर्मा ने एक अनुमान के आधार पर यह भी बताया कि वर्ष 2020 के बाद यह आवश्यक हो जायेगा है कि विदेशों में निर्यात के लिये केवल ऑर्गेनिक खेती द्वारा उत्पन्न पदार्थों का ही निर्यात किया जा सकेगा, इसके लिये गोबर की खाद का ही प्रयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में भी बहुत सी गौशालाऐं है जिनमें पंचगव्य तथा बहुत सी संस्थाओं द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार किया जाता है।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त सभी सदस्यों की ओर से यह सुझाव दिया गया कि प्रबंध मंडल की बैठक तीन माह की अवधि में एक बार आयोजित की जावे एवं बैठक का समय 12.30 दोपहर रखा जावे ताकि सदस्य समय से बीकानेर पहुंचकर बैठक में भाग ले सके। इस सुझाव का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

तत्पश्चात् डॉ. त्रिभुवन शर्मा, अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष ने सभी आगंतुक माननीय सदस्यों को बैठक में भाग लेने में अपना कीमती समय निकालकर बैठक में भाग लेकर अपना मूल्यवान योगदान के लिये धन्यवाद देते हुये आभार व्यक्त किया।

माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव

## राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक :– एफ.(2)/राजुवास/संस्था./बोम–19/2018/274 दिनांक :- 25-4-2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, राजभवन, जयपुर
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
3. माननीय सदस्य, प्रबंध मंडल, राजुवास, बीकानेर
4. अधिष्ठाता/निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी, राजुवास, बीकानेर

25.4.18

कुलसचिव